(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION No. TCP-A(3)-1/2016 SHIMLA, DATED..22-07-2019 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No.TCP-A(3)-1/2016 **Dated, Shimla-2, the of** 22-07-**2019.**

Order

Whereas, sub-section (1) of section 20 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (No. 16 of 2016) provides that appropriate Government shall, by notification, establish an Authority to be known as the Real Estate Regulatory Authority to exercise the powers, conferred on it and to perform the functions assigned to it under the said Act;

And Whereas, third proviso to sub-section (1) of section 20 of the Act ibid. provides that until the establishment of a Regulatory Authority under this section, the appropriate Government shall, by order, designate any regulatory Authority or any officer preferably the Secretary of the department dealing with Housing, as the Regulatory Authority for the purposes under this Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the third proviso to sub-section (1) of section 20 of the Act ibid. the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to designate the Addl. Chief Secretary (Housing)to the Government of Himachal Pradesh as Real Estate Regulatory Authority, until the establishment of a Regulatory Authority under this section for carrying out the purposes under the said Act.

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Govt. of Himachal Pradesh

...2/..

Scanned by CamScanner

Endst. No. TCP-A(3)-1/2016 **Dated, Shimla-2,** 22-07-2019

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. All Deputy Commissioner, Himachal Pradesh
2. The Director, Town and Country Planning Office, Shimla-9. H.P.
3. The Director, Urban Development, Shimla-2 H.P.
4. The Commissioner, Municipal Corporation, Shimla, H.P.
5. The Commissioner, Municipal Corporation, Dharmshala, H.P.
6. The Town and Country Planner, Divisional Town Planning Office, Mandi, Solan, Shimla, Nahan, Kullu, Dharamshala and Hamirpur.
7. The Assistant Town Planner, Sub-Divisional Town Planning Office, Rampur, Una, Parwanoo, Chamba, Bilaspur, Kasauli and Manali.
8. The Planning Officer, Town Planning Office, Palampur, Manali, Sundernagar, Nadaun and Rohru.
9. Private Secretary to the Addl. Chief Secretary(Housing)to the Govt. of H.P.

(Surjeet Singh Rathore)
Deputy Secretary (TCP) to the
Govt. of Himachal Pradesh.

Scanned by CamScanner

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्याः टी0सी0पी0–ए–(3)1/2016 तारीख, शिमला–2, 22-07- 2019

आदेश

भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 20 की उपधारा (1) उपबन्ध करती है कि समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, उक्त अधिनियम के अधीन उसे प्रदत शक्तियों का प्रयोग करने तथा उसको समनुदेशित कृत्यों का पालन करने के लिए भू–संपदा विनियामक, प्राधिकरण नामक एक प्राधिकरण की स्थापना करगी;

और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) का तृतीय परन्तुक उपबन्ध करता है कि समुचित सरकार आदेश द्वारा, इस धारा के अधीन विनियामक प्राधिकरण की स्थापना किए जाने तक, किसी विनियामक प्राधिकरण या किसी अधिकारी, अधिमानतः अवास सम्बद्ध विभाग के सचिव, को इस अधिनियम के अधीन प्रयोजनों के लिए विनियामक प्राधिकारी के रुप में अभिहित करेगी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के तृतीय परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अतिरिक्त मुख्य सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार को, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए इस धारा के अधीन विनियामक प्राधिकरण की स्थापना किए जाने तक, भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकारी के रुप में अभिहित करते है।

आदेश द्वारा

प्रबोध सक्सेना
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्याः टीसीपी–ए (3)–1/2016 तारीख शिमला–2, 22-07- 2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः–

1. समस्त मण्डला आयुक्त, हिमाचल प्रदेश ।
2. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश ।
3. निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9
4. निदेशक, शहरी विकास विभाग, हि0प्र0 शिमला–2
5. आयुक्त, नगर निगम, शिमला और धर्मशाला।
6. नगर एवं ग्राम योजनाकार, मण्डलीय नगर योजना कार्यालय, धर्मशाला, नाहन, सोलन, शिमला, हमीरपुर, कुल्लू एवं मण्डी।
7. सहायक नगर योजनाकार, उप–मण्डलीय नगर योजना कार्यालय, परवाणु, रामपुर, ऊना चम्बा एवं बिलासपुर
8. योजना अधिकारी, नगर योजना कार्यालय, पालमपुर, मनाली, सुन्दरनगर, नादौन एवं रोहड़ू ।
9. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार।

(सुरजीत सिंह राठौर)
उप सचिव (टी0सी0पी0)
हिमाचल प्रदेश सरकार,

Scanned by CamScanner